<u>माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुहास चकमा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (रिट याचिका संख्या 1082/2020) में जारी निर्देशों के अनुपालन में</u>

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-एक, बीकानेर
(विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम)

प्रकरण का शीर्षक	-	राजस्थान राज्य बनाम विक्रम सिंह उर्फ विक्की
प्रकरण संख्या	-	867/2026
आदेश दिनाँक	-	25.05.2026
आदेश का प्रकार	-	जमानत आवेदन अस्वीकृत

अभियुक्त/आवेदक को सूचित किया जाता है कि वह इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध उपचार प्राप्त करने हेतु निःशुल्क विधिक सेवा निम्नलिखित स्थान पर प्राप्त कर सकता हैः-

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर।

विधिक सेवा प्राधिकरण का पताः
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
नवीन जिला न्यायालय परिसर के सामने,
बीकानेर।
फोन - 0151-2970623

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-एक, बीकानेर
(विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम)

पीठासीन अधिकारी	::	प्रमोद बंसल (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक विविध(जमानत) प्रकरण सं.	::	867/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.	::	134/2026, पुलिस थाना, गंगाशहर, बीकानेर। अपराध अन्तर्गत धारा 8/22, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट

विक्रम सिंह उर्फ विक्की पुत्र मोहन सिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासी रोड न. 07, मंगलम भवन के पास चौधरी कॉलोनी, गंगाशहर, पुलिस थाना गंगाशहर, जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक।

.....अप्रार्थी

<u>जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता</u>

<u>उपस्थितः</u>

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से	::	श्री तेजकरण सिंह राठौड
राज्य की ओर से	::	श्री हरीश कुमार भटटड़, विशिष्ट लोक अभियोजक

<u>आदेश</u> **दिनांक 25.05.2026**

01. प्रार्थी/अभियुक्त **विक्रम सिंह उर्फ विक्की** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस न्यायालय में पेश किया गया, जिसकी नकल विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलवाई गयी। अनुसंधान दैनंदिनी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई।

02. प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.05.2026 को हेतराम उप-निरीक्षक थानाधिकारी मय जाप्ता गश्त एवं एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही हेतु नोखा रोड क्षेत्र में रवाना होकर ग्रांड पैराडाईज बिल्डिंग के पास एक संदिग्ध व्यक्ति विक्रमसिंह उर्फ विक्की को मोटरसाइकिल सहित रोका गया। आरोपी द्वारा भागने का प्रयास किया गया

तथा संदिग्ध आचरण पाए जाने पर धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की पालना करते हुए तलाशी की गई। तलाशी के दौरान आरोपी की लोवर की जेब से एक पारदर्शी जिपर थैली में भरा हुआ भूरे रंग का पदार्थ बरामद हुआ, जिसकी पहचान एम.डी. (मेफेड्रोन) के रूप में की गई। बरामद मादक पदार्थ का वजन 04 ग्राम 16 मिलीग्राम पाया गया। आरोपी के पास उक्त मादक पदार्थ रखने का कोई वैध लाइसेंस/परमिट नहीं पाया गया। उक्त मादक पदार्थ को विधिवत सील मोहर कर जब्त किया गया तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा उक्त मादक पदार्थ पवन विश्नोई से प्राप्त करना बताया गया।.....वगैराह वगैराह

03. उक्त फर्द जब्ती के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना गंगाशहर, बीकानेर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 134/2026 अन्तर्गत धारा 8/22, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज की जाकर दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनाँक 19.05.2026 को गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

04. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

05. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से दौराने बहस यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, जिसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रकरण में एन.डी.पी.एस. एक्ट के आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा आदेशित जमानत मुचलके पेश करने को तैयार व तत्पर है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

06. इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत गम्भीर प्रकृत्ति का आरोप है। अंत में अपराध की प्रकृत्ति एवं गम्भीरता को देखते हुए जमानत आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

07. हमने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया, अनुसंधान दैनंदिनी का अवलोकन किया।

(क) प्रकरण का विवरणः-

एफ.आई.आर. न. व दिनाँक	थाना जिला और राज्य	धारा	निर्धारित अधिकतम दण्ड
134/2026	गंगाशहर, बीकानेर	8/22, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट	10 वर्ष का कारावास

(ख) अभिरक्षा एवं प्रक्रियात्मक अनुपालनाः-

गिरफ्तारी की दिनाँक	अभिरक्षा में व्यतीत कुल अवधि
19.05.2026	07 दिवस

(ग) मुकदमे की स्थितिः-

प्रकरण की वर्तमान अवस्था जाँच/चार्जशीट/संज्ञान/ आरोप/निर्धारण/विचारण	आरोप पत्र में उल्लेखित कुल गवाह संख्या	अभियोजन पक्ष के परीक्षित गवाहों की संख्या
जैर अनुसंधान	---	---

(घ) आपराधिक पूर्ववृत्त प्रार्थी/अभियुक्त-विक्रम सिंह उर्फ विक्की

क्र.सं.	मु.न.	धारा	थाना	नतीजा पुलिस	निर्णय न्यायालय
अनुसंधान दैनंदिनी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त विक्रम सिंह उर्फ विक्की का आपराधिक रिकार्ड संलग्न अनुसंधान दैनंदिनी दर्शित नहीं है।					

(ङ) पूर्व जमानत आवेदनः-

न्यायालय का नाम	प्रकरण सं.	प्रकरण का परिणाम
---	---	---

(च) बाध्यकारी कार्यवाहीः-

क्या गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया	क्या उद्घोषित वारण्ट जारी किया गया
---	---

08. अनुसंधान दैनंदिनी के अवलोकन से यह प्रकट है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत प्रार्थी/अभियुक्त के सचेतन्य कब्जा से अभिकथित अवैध मादक पदार्थ एम.डी. (Mephedrone) 04 ग्राम 16 मिलीग्राम (अल्प मात्रा से अधिक एवं वाणिज्यिक मात्रा से कम) जब्त होना दर्शित है। प्रकरण में पुलिस द्वारा अब तक किए गए अनुसंधान से प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा

पवन विश्नोई से मादक पदार्थ लेकर आना, जिसको आगे विक्रय करना एवं स्वयं भी मादक पदार्थ का उपयोग-उपभोग करने से प्रार्थी/अभियुक्त की मादक पदार्थ तस्करी में सक्रिय संलिप्तता प्रथमदृष्टया दर्शित होती है।

09. अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, आरोपित अपराध की गम्भीरता एवं मादक पदार्थ की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. लिहाजा प्रार्थी/अभियुक्त **विक्रम सिंह उर्फ विक्की** पुत्र मोहन सिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासी रोड न. 07, मंगलम भवन के पास चौधरी कॉलोनी, गंगाशहर, पुलिस थाना गंगाशहर, जिला बीकानेर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अनुसंधान दैनंदिनी लौटाई जावे। संबंधित लिपिक को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश की सॉफ्ट कॉपी जरिए मेल संबंधित जेल को अविलम्ब प्रेषित की जावे। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 5/पी.आई./2025 दिनाँक 12.03.2025 की पालना में एक कवर शीट भी अभियुक्त की सूचनार्थ संबंधित जेल को मेल की जाए।

(प्रमोद बंसल)

11. आदेश आज दिनांक 25.05.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद बंसल)